झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	पलामू जिला के चैनपुर थाना अन्तर्गत पूर्वडीहा ग्राम के कोलुआ टोला निवासी नेवी में कार्यरत सूरज दुबे की नृशंस हत्या सुनोयोजित ढंग से देश विरोधी ताकतों द्वारा षड़यंत्र कर दी गयी है, यह 30 जनवरी, 2021 को कार्यस्थल के लिए पलामू से रवाना हुए थे। उनका अंतिम मोबाईल लोकेशन चेन्नई का मिला है, चेन्नई से उन्हें अपने कार्यस्थल कोयम्बटूर जाना था, इसी बीच उनका अपहरण कर लिया गया। महाराष्ट्र राज्य के पालघर के बेलाजीपारा जंगल में 90 प्रतिशत जली अवस्था में ग्रामीणों द्वारा सूचना के उपरान्त सूरज दुबे की क्षत-विक्षप्त अवस्था में सशरीर स्थानीय प्रशासन को मिली, स्थानीय प्रशासन द्वारा छानबीन के उपरान्त मुम्बई के नौ सेना अस्पताल में उपचार कराने के लिए ले जाया गया, जहाँ उपचार के क्रम में ही श्री दुबे की मृत्यु हो गयी। जिसनें उन्ही के विभाग एवं सह कर्मी धर्मेन्द्र नाम के संकक्ष अधिकारी की संलिप्ता/अर्न्तराजीय गिरोह की साजिस प्रतीत होती है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		अतएव मैं सूरज दूबे की देश विरोधी ताकतों द्वारा नृशंस हत्या की जांच सी0बी0आई0 से कराने हेतु/अनुशंसा कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
02-	प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	पाकुड़ जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाकुड़िया के परिसर में 50 शय्या वाले मोडल अस्पताल का निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ हुआ था। उक्त अस्पताल भवन के निर्माण कार्य पर 3.66 करोड़ रूपये की प्राक्कलित राशि के विरूद्ध रूपये 3.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी कुछ आवश्यक कार्य यथा इलेक्ट्रिफिकेशन आदि के अभाव में उक्त निर्मित अस्पताल भवन बेकार पड़ा हुआ है जिसके कारण गरीब मरीजों को जान जोखिम में डालकर चिकित्सा हेतु अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ वहन कर अन्यत्र जाना पड़ता है, साथ ही साथ 3.15 करोड़ रूपये के व्यय का भी कोई औचित्य नही रह जाता है। अतएव जनहित में उक्त निर्मित अस्पताल भवन को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
03-	श्री रामदास सोरेन स0वि0स0 श्रीमती सविता महतो स0वि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के घाटशिला प्रखण्ड के झाटी झरना पंचायत के भूमरू पहाड़ में मैगनीज अयस्क का भण्डारण एवं गुड़ाबाँधा प्रखण्ड के फारेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित बाडोनमुटी (बारूनमति) पहाड़ पर पन्ना खनिज का भण्डारण पाया गया है जो भूतत्व निदेशालय द्वारा भूतात्विक सर्वेक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में कई माईनिंग पिट पाये गए है जिसमे कई वर्षो से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन् हो रहा है। परन्तु उक्त क्षेत्र में खनिज पाये जाने की उपलब्धता प्रमाणित होने के उपरांत उसकी नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रतिवेदन	खान एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
		खान निदेशालय को उपलब्ध कराया गया तथा खनिज ब्लॉक के नीलामी के लिए आवश्यक दर हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करने के पश्चात् भारत सरकार के भारतीय खनिज ब्यूरो द्वारा उक्त खनिज के दर का निर्धारण नहीं किये जाने के कारण उक्त मंत्रालय के परामर्श के आलोक में उत्खनन् कार्य विभागीय निर्णय के आलोक में JSMDC एवं NMDC के माध्यम से कराने का निर्णय लिय गया तथा NMDC को पूर्ण भूतात्विक अन्वेषण करते हुए पन्ना एवं मैगनीज खनिज के भण्डारण का पता लगाने हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद NMDC के उक्त पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय क्षमण कर अबतक अपनी सहमती नही दी है। जिसके कारण राज्य सरकार को प्रति वर्ष करोड़ो रूपये राशि के राजस्व की क्षति हो रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार की संकल्प संख्या 563, दिनांक- 05.10.2005 से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में उक्त क्षेत्र में अवैध उत्खनन् की रोकथाम हेतु जिलास्तरीय टास्क फोर्स गठित होने के बावजूद उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन् कार्य संचालित है क्योंकि उक्त फोर्स का गठन सिर्फ कागजी खानापूर्ति है। अतः राज्यहित में सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहेंगे।	
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का कार्यकाल 16 जनवरी, 2021 को समाप्त हो गया है। त्रिस्तरी पंचायतीराज व्यवस्था के तहत् चुनाव नहीं होने के कारण भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को प्राप्त अधिकार के तहत् 29 विषयों पर विकास कार्य अवरूद्ध हो गये हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
05-	श्री सरयू राय स0वि0स0	उपायुक्त, पूर्वी जमशेदपुर के पत्रांक- 334/TL/04.11.2020 के अनुसार रिविजनल सर्वे-1934-37, मौजा-खूटाडीह, खाता-40, खेसरा-1566 से 1570, 1572 रकबा-5.26 एकड़ रैयत बंगल कुमार के नाम पर दर्ज है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी न्यायालय, जमशेदपुर वाद संख्या-264/2001-02, दिनांक- 05.08.2002 में पारित आदेश रैयत के पक्ष में है। इस भूखंड को टाटा लीज से मुक्त करते हुए विभिन्न पत्रांकों- 268/23.07.2005,3752/18.08.05,424/27.08.05, 3650/10.11.05, 3553/27.10.08 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय रैयत के पक्ष में है। इसपर टाटा स्टील द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका 1981/03 और 6816/05 का 23.04.2012 में फैसला रैयत के पक्ष में है। इसपर टाटा स्टील द्वारा दायर एलपीए-227/12 एवं 236/12 में झारखण्ड उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बरतने का आदेश दिया है। टाटा स्टील द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका-1981/03, 6816/05 तथा एलपीए संख्या- 227/12 एवं 236/12 में राज्य सरकार ने रैयत के पक्ष में शपथ पत्र दाखिल किया है, पर अचानक एक अज्ञात व्यक्ति मुंशी रजक, जो कभी सामने नहीं आया और जिसका अता-पता भी नहीं है, की शिकायत पर राजस्व विभाग ने एलपीए संख्या-227/12 में रैयत के पक्ष में दिया गया उच्च न्यायालय की यथास्थिति बरतने के आदेश को बदलवाने के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर किया जिसमें अपर महाधिवक्ता ने फर्जी न्यायिक आदेश उद्धृत कर राजस्व विभाग को गुमराह किया। नतीजतन रैयती भूखंड पर कानूनी कब्जाधारी को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		मैं सरकार का ध्यान जनहित के इस विषय की ओर आकृष्ट करते हुये माँग करता हूँ कि रैयत और टाटा स्टील के बीच झारखण्ड उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका वापस ले, एलपीए संख्या- 227/12 एवं 236/12 में दायर अपने शपथ पत्र पर तथा इसके पूर्व के अपने निर्णयों पर कायम रहे ताकि न्यायालय में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।	

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-761/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/3/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीहे बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-761/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/3/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-